सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4(1)(ख) के अन्तर्गत उ0प्र0

<u>यातायात पुलिस से सम्बन्धित 17 बिन्दुओं की सूचना</u>

<u>बिन्दु संख्या-1. अपने संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य और कर्तव्य:-</u>

यातायात निदेशालय की स्थापना वर्ष 1985 में शासनादेश दिनांक 09-04-1985 के अनुसार डीआईजी रैंक के अधिकारी के अधीन की गयी थी।

निदेशक यातायात के पद को वर्ष 1997 में अपग्रेड कर पुलिस महानिरीक्षक, यातायात रैंक के अधिकारी को प्रभारी बनाया गया तथा पुन: वर्ष 2006 में फिर से अपग्रेड कर अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात को यातायात निदेशालय का प्रभारी बनाया गया।

भारत सरकार के अधिसूचना संख्या: 11052/13/2010-एआईएस-एआईएस-II-एए दिनांक 30-03-2010 के द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, यातायात का पद सृजित किया गया था। वर्ष 1987 में डिप्टी डायरेक्टर का पद पुलिस अधीक्षक, यातायात का सहायक कर्मचारियों के पदों के साथ बनाया गया था।

<u>बिन्दु संख्या-2 : अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य:-</u>

अपर पुलिस महानिदेशक यातायात

↓

पुलिस महानिरीक्षक यातायात

↓

पुलिस अधीक्षक यातायात

↓

अपर पुलिस अधीक्षक यातायात

↓

उपनिरीक्षक एम/आशुलिपिक

↓

उपनिरीक्षक/लिपिक

↓

सहायक लिपिक

↓

मुख्य आरक्षी स0पु0

↓

आरक्षी चालक

↓

आरक्षी स0पु0

↓

चतुर्थ श्रेणी

1- जनपदीय यातायात पुलिस में नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात का समीक्षक अधिकारी के रूप में तथा पुलिस उपाधीक्षक, यातायात का स्वीकर्ता अधिकारी के रूप में अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात द्वारा कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट अंकित कर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को भेजा जाना।

2- पीएसी/जनपदीय सशस्त्र पुलिस बल से दलनायक/प्रतिसार निरीक्षक का निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत चयन कर उन्हें यातायात निरीक्षक का विशेष प्रशिक्षण प्रदान कराना।

3- पीएसी/जनपदीय सशस्त्र पुलिस बल से प्लाटून कमाण्डर/एसआई एपी का निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत चयन कर उन्हें यातायात उप- निरीक्षक का विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर जनपदीय यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु नियुक्त किया जाना।

4- प्रदेश के जनपदों के रिक्तियों के सापेक्ष मुख्य आरक्षी, स0पु0 एवं आरक्षी स0पु0 को यातायात का प्रशिक्षण प्रदान कराकर उन्हें जनपदों में नियुक्त किया जाना।

5- यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों को देखना और उनमें उचित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना।

<u>बिन्दु संख्या-3 : विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है:-</u>

1. यातायात निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा पर्यवेक्षण का कार्य, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/नीति के अनुसार किया जाता है। यातायात निदेशालय के कार्यो के सम्पादन हेतु समय-समय पर यथा आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये है, साथ ही उ0प्र0 शासन, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक/पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशो/निर्देशों का पालन किया जाता है।
2. यातायात निदेशालय, अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा के अधीन कार्यरत है। इनके पर्यवेक्षणाधीन नियुक्त अन्य राजपत्रित अधिकारियों द्वारा कार्य एवं उत्तरदायित्व सौंपे जाते है, जिनसे विभिन्न राजकीय कार्यो का सम्पादन किया जाता है।
3. यातायात निदेशालय में प्रशासनिक नियंत्रण/संचालन एवं कर्मियों के अनुशासन बनाये रखने हेतु उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली के अनुरूप कार्यवाही की जाती है।
4. **स्थानान्तरण व नियुक्ति -**

   4.1 निरीक्षक यातायात की नियुक्ति व स्थानान्तरण अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ0प्र0 के स्तर से किया जाता है।

   4.2 यातायात उपनिरीक्षक की नियुक्ति व अन्तर जनपदीय स्थानान्तरण अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उ0प्र0 की अध्यक्षता में शासन द्वारा गठित कमेटी द्वारा की जाती है।

4.3 मुख्य आरक्षी व आरक्षी की यातायात पुलिस में नियुक्ति जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाती है। अन्तर जनपदीय स्थानान्तरण अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उ0प्र0 की अध्यक्षता में शासन द्वारा गठित कमेटी द्वारा की जाती है।

5. यातायात निदेशालय, उ0प्र0 में यातायात कर्मियों के संबंध में प्राप्त शिकायतों का शीघ्रतापूर्वक निस्तारण किया जाता है। यातायात निदेशालय में स्थापित नियन्त्रण कक्ष द्वारा 24 घण्टे सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में यातायात संबंधी समस्याओं को प्राप्तकर संबंधित को त्वरित गति से भेजकर निस्तारण कराया जाता है।
6. सभी जनपदों के पुलिस अधीक्षक, यातायात/पुलिस उपाधीक्षक यातायात के कार्यो का पर्यवेक्षण जनपदीय पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाता है।

<u>बिन्दु संख्या-4 : अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड:-</u>

प्रदेश में जनसामान्य को बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराना, सड़क दुर्घटनाओं तथा उनमें घायल तथा मृतकों की संख्या में कमी लाना, मा0 उच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों का अनुपालन, भारत सरकार, उ0प्र0शासन, परिवहन आयुक्त, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशों का अनुपालन कराना।

सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्य और घायलों को कम करने के लिए यातायात पुलिस, उ0प्र0 प्रतिबद्ध है। सड़क सुरक्षा कार्य योजना परिवहन विभाग द्वारा विकसित की गयी है। सड़क सुरक्षा कार्य योजना एक रोड मैप के रूप में कार्य करता है जिसके द्वारा सड़क सुरक्षा प्रबन्धन, सुरक्षित सड़के और गतिशीलता, सुरक्षित वाहन, यातायात नियमों का पालन कराना, शिक्षा और आपातकाल सभी संबंधित द्वारा अनुपालन कराया जाता है। एक्शन प्लान एक सुरक्षित योजना की आवश्यकता को स्वीकार करता है तथा सड़क सुरक्षा हेतु 4E (Engineering, enforcement, education and evaluation) पर प्रभावी ढंग से कार्य किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है।

<u>बिन्दु संख्या-5 : अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख :-</u>

यातायात निदेशालय, उ0प्र0 का मुख्य कार्य है कि प्रदेश के जनपदों में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर बनाया तथा शासन के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना है। प्रचलित नियमावली" उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 व दण्ड एवं अपील नियमावली-1991 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

<u>बिन्दु संख्या-6 : ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण :-</u>

उक्त के सन्दर्भ में अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उ0प्र0 के नियंत्रण में मुख्यतया निम्नांकित अभिलेख अभिरक्षित किये जाते है :-

(1) उपनिरीक्षक यातायात की चयन एवं स्थानान्तरण अभिलेख

(2) मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी यातायात की स्थानान्तरण अभिलेख
(3) यातायात को सुगम संचालन हेतु निर्गत आदेश का अभिलेख
(4) जनपद में चिन्हित किये गये ब्लैक स्पॉट संबंधी अभिलेख
(5) अन्य विभागीय दस्तावेज यथा- प्रशिक्षण, विभागीय कार्यवाही इत्यादि सम्बन्धी।

बिन्दु संख्या-7 : किसी व्यवस्था की विशिष्टियॉ, जो एसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्यवन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है:-

यातायात निदेशालय, उ0प्र0 और जनमानस के बीच सीधा सम्पर्क नहीं है फिर भी यातायात निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में नियन्त्रण कक्ष स्थापित है जो 24 घण्टे कार्य करता है एवं ट्वीटर हैण्ड्ल और फेसबुक पेज है जिस पर सूचनाओं को भेजा जा सकता है एवं जनमानस से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है।

नियंत्रण कक्ष - 9454402555 (मोबाइल)
0522- 2390468 (लैण्ड लाइन)

फेसबुक पेज - https://www.facebook.com/TrafficPoliceUP

ट्वीटर हैण्डल - @uptrafficpolice

बिन्दु संख्या-8 : ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुॅच होगी, विवरण :-

यातायात निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मुख्य आरक्षी यातायात एवं आरक्षी यातायात के स्थानान्तरण हेतु कमेटी का गठन किया गया है। चूॅकि पुलिस विभाग कीकाफी सूचनायें गोपनीय होती है। अतः सभी सूचनाएं जनता के प्रयोगार्थ रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है।

बिन्दु संख्या-9 : अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका :-

राजपत्रित अधिकारियों का विवरण-

क्र0सं0	पदनाम	दूरभाष नम्बर
1	अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उ0प्र0	9454400122
2	पुलिस अधीक्षक/उपनिदेशक, यातायात, उ0प्र0	9454400346
3	अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात, उ0प्र0	9454457925

बिन्दु संख्या-10 : अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके नियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो :-

क्र0सं0	पद नाम	नियतन	वेतनमान	वेतनमान का लेवल
1	अपर पुलिस महानिदेशक यातायात	1	67000-79000	15
2	पुलिस महानिरीक्षक यातायात	1	37400-67000	14
3	पुलिस अधीक्षक यातायात	1	37400-67000	13
4	अपर पुलिस अधीक्षक यातायात	1	15600-39100	12
5	उ0नि0 एम/आशुलिपिक	2	9300-34800	6
6	उ0नि0/लिपिक	5	9300-34800	6
7	सहायक लिपिक	2	9300-34800	6
8	मुख्य आरक्षी स0पु0	5	5200-20200	5
9	आ0 चा0	2	5200-20200	3
10	आरक्षी स0पु0	10	5200-20200	1
11	ओ0पी0 /कुक	6	5200-20200	1
12	दफ्तरी	1	5200-20200	1

बिन्दु संख्या-11 : सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियॉ, उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट:-

बजट-व्यय से संबंधित विवरण वेबसाइट- koshvani.up.nic.in के उपशीर्षक-926-गृह (पुलिस) के अन्तर्गत उपलब्ध है।

बिन्दु संख्या-12 : सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के व्यौरे सम्मिलित है:-

इस विभाग द्वारा उक्त प्रकार का कोई कार्यक्रम संचालित नही किया जाता है।

बिन्दु संख्या-13. अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियॉ:-

यातायात निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा कोई भी परमिट अथॅराइजेशन अथवा कन्सेशन निर्गत नहीं किया जाता है।

बिन्दु संख्या-14- किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों:-

यातायात निदेशालय, उ0प्र0 पर लागू नहीं है।

बिन्दु संख्या-15- सूचना, अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं:-

यातायात निदेशालय, उ0प्र0 स्तर पर आम नागरिकों के उपयोग के लिए पुस्तकालय अथवा वाचन कक्ष की व्यवस्था नहीं है।

बिन्दु संख्या-16- लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ:-

क्र0 सं0	कार्यालय का पता	जनसूचना अधिकारी	दूरभाष नम्बर	अपीलीय जनसूचना अधिकारी	दूरभाष नम्बर
1	यातायात निदेशालय, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय (सिग्नेचर बिल्डिंग) टावर-4, चतुर्थ तल	अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात निदेशालय, लखनऊ	9454457925	पुलिस अधीक्षक/ उपनिदेशक, यातायात निदेशालय, लखनऊ	9454400346

बिन्दु संख्या- 17. ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा :-

वर्ष - 2018 में चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स एवं अल्पकालिक/दीर्घकालिक सुधार -

क्र0सं0	विभाग का नाम	ब्लैक स्पॉट की संख्या	अल्पकालिक सुधार कार्य पूर्ण	दीर्घकालिक सुधार कार्य पूर्ण
1	एन0एच0ए0आई0	586	548	402
2	लो0नि0विभाग	505	475	-
3	एन0एच0(लो0नि0वि0)	127	127	86
4	उपशा	17	17	-
5	यीडा	03	03	-
6	यूपीडा	01	01	-
7	स्थानीय निकाय	03	03	-
8	ग्राम्य विकास	01	01	-
9	नोएडा/ग्रे0नोयडा	26	26	-
10	जी0डी0ए0	01	01	-